

केवल निर्माण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र


प्रेषक,
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,
~~डा. अशोक कुमार शर्मा~~
~~भवन सं. 0. L. 1. G. / E. W. S.~~
~~डा. अशोक कुमार शर्मा, बाराबंकी~~

महोदय,
कालोनी मार्ग, ~~श्रीधरपुर, बाराबंकी~~ मोहल्ला/बजार, ~~श्रीधरपुर, बाराबंकी~~
नगर बाराबंकी के प्लॉट..... घर/के सजरा संख्या: ~~266, श्रीधरपुर, बाराबंकी~~
भवन सं. ~~0. L. 1. G. / E. W. S.~~ /में निर्माण/सारबान/परिवर्तन/मिसने के लिए अनुज्ञा
देने के आपके आवेदन-पत्र ~~129/2017~~ दिनांक ~~05-10-2007~~ के सन्दर्भ में
आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत दे दी गई है/देने से
हन्कार कर दिया है :-

1. स्वामी के द्वारा पेश किए गए मानचित्र स्थल: निरस्त संपत्ति जायेंगी।
2. भवन निर्माण पर क्षेत्र का नियमों के अंतर्गत में अनुज्ञा देना होगा।
3. स्थल के लिए एआन के अनुसार लगे हुए नियमों का पालन करना होगा।
4. बजार स्थल के लिए निर्माण विकास योजना के अनुसार दिनांक 17 का पालन करना होगा।
5. मुख्य डा. अशोक कुमार शर्मा द्वारा बाराबंकी को अनापत्त दिनांक 12-12-17 में दी जायेंगी।
6. शर्तों का पालन करना होगा।
7. मानचित्र स्वीकृत दिनांक से 5 वर्षों तक मान्य होगा।
8.
9.
10.

संलग्न-मानचित्र की प्रतियाँ ①
कार्यालय सूचना संख्या..... 129/2017
दिनांक..... 13. 02. 2017



नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
बाराबंकी